

आवश्यक सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय कानपुर नगर के आदेश के अनुपालन में कूड़ा गाड़ी की मरम्मत का कार्य बाजार/विभिन्न संस्थाओं से कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त सर्विस (मरम्मत के कार्य) के बाबत अपने - अपने आगणन कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय कानपुर नगर में दिनांक- 14.11.2025 तक सांय 05 बजे तक प्रस्तुत करें।

दिनांक : 10.11.2025

आज्ञा से,
—SD—
अध्यक्ष, क्रय समिति
जनपद न्यायालय,
कानपुर नगर